मणिपुर में भाषाई संरचना

यू. ए. शिमरे

भारत के गज़ेटियर (खण्ड I) के अनुसार भाषा मौखिक प्रतीकों का एक समूह है जिसे सामाजिक इकाइयां सहयोग तथा विचारों के आदानप्रदान हेतु उपयोग में लाती हैं। भाषा केवल संवाद का एक माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि इसके अनेक जातीय, सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ भी होते हैं। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी एक अलग बोली अथवा उपभाषा होती है। इन बोलियों (उपभाषाओं) का प्रयोग करने वाले लोग इसे अपनी भाषा के रूप में ही देखते हैं।

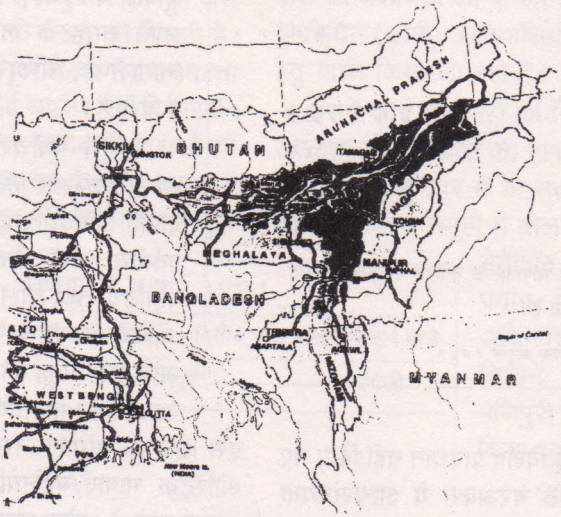

किसी ऐसे समाज में जहां अनेक जातीय समूह होते हैं तथा उनकी अलग-अलग उपभाषाएं होती हैं, वहां या तो एक समूह की भाषा अन्य समूहों पर थोपी जाती है या फिर किसी एक भाषा का प्रभुत्व कायम हो जाता है। किस भाषा का प्रभुत्व होगा, यह उस भाषा को बोलने वालों की संख्या व उनके महत्व पर निर्भर करता है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रभुत्व हो जाता है तथा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं को गौण स्थान प्राप्त होता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अल्पसंख्यकों की बोलियां विलुप्त हो गई हैं। मसलन अमरीका के रेड इण्डियनों की भाषाएं लगभग गुम हो चुकी हैं।

उपरोक्त बातें भारत में भी हुई हैं क्योंकि यहां भी भाषाई विभिन्नताओं का बाहुल्य है। यहां की भाषाओं को चार समूहों में बांटा गया है

(अ) चीनी-तिब्बती भाषाएं
(ब) औस्ट्रिक भाषाएं
(स) इण्डो-आर्य भाषाएं
(द) द्रविड़ भाषाएं

भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में द्विभाषी या त्रिभाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यहां तक कि निरक्षर लोग भी द्विभाषी अथवा त्रिभाषी होते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई परिवार, स्वजनों का समूह अथवा समुदाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये लोग वहां की भाषा सीख लेते हैं। किन्तु ऐसा वे अपने पूर्वजों की भाषा को तिलांजलि दिए बिना करते हैं। इस प्रकार वे द्विभाषिक अथवा त्रिभाषिक हो जाते हैं।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। किन्तु अल्पसंख्यक भाषाओं विशेषतः आदिवासियों की भाषाओं को विलुप्त

भारत के गज़ेटियर (खण्ड I) के अनुसार भाषा मौखिक प्रतीकों का एक समूह है जिसे सामाजिक इकाइयां सहयोग तथा विचारों के आदानप्रदान हेतु उपयोग में लाती हैं। भाषा केवल संवाद का एक माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि इसके अनेक जातीय, सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ भी होते हैं। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी एक अलग बोली अथवा उपभाषा होती है। इन बोलियों (उपभाषाओं) का प्रयोग करने वाले लोग इसे अपनी भाषा के रूप में ही देखते हैं।

तालिका 1: 1991 में मणिपुर में जनसंख्या का विभाजन

कुल जनसंख्या	18,37,149
गैर आदिवासी	12,05,419
प्रतिशत	65.6
आदिवासी	6,31,730
प्रतिशत	34.4
भाषाएं	
अनुसूचित	12,09,729
प्रतिशत	65.85
गैर अनुसूचित	6,27,420
प्रतिशत	43.15

नोट : द्विभाषी लोगों के कारण भाषाओं के कालम में कुल प्रतिशत 100 से अधिक हो गया है।

स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त 1991

होने से बचाने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। प्रभावशाली भाषाओं के बरअक्स ये अल्पसंख्यक भाषाएं अपनी पहचान खो सकती हैं। भाषाओं के अनेक सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ होते हैं और यदि प्रभावशील समुदाय द्वारा अपनी भाषा को बलपूर्वक थोपने का प्रयास किया गया तो राजनैतिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। यह सच है कि आपसी बातचीत के विभिन्न स्तरों पर भाषा को आत्मसात करने की क्रिया ही बहुजातीय क्षेत्र की विशेषता है। किन्तु एकता या एकरूपता के लिए एक भाषा की हिमाकत करना समस्याएं उत्पन्न कर सकता है तथा इसका विरोध भी हो सकता है। इस लेख में हम बहु-भाषावाद के स्वरूप तथा इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषत: मणिपुर में पड़ने वाले सामाजिक व राजनैतिक परिणामों पर चर्चा करेंगे।

भारत में प्रमुख भाषाओं का भौगोलिक फैलाव भाषा के आधार पर रचे क्षेत्रों की योजना के अनुरूप है। इसीलिए भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन हुआ है। किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के निर्माण का आधार न तो भाषा है और न ही जातीय समूह। यहां राज्यों को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर बांटा गया है। नागा जाति समूह के लोग इस क्षेत्र के चार राज्यों (नागालैण्ड, मणिपुर, असम व अरुणाचल प्रदेश) में बसे हैं।

सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय, भाषाई व सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से काफी आश्चर्यजनक विशिष्टताएं हैं। इस क्षेत्र के पर्वतीय भागों जैसे नागा, पटकाई व लुशाई पहाड़ियों तथा शिलांग के पठार में कई सारे क्षेत्रीय आदिवासी लोग बसते हैं। इनमें से प्रत्येक आदिवासी समूह की अलग सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान है। भारतीय भाषाई वर्गीकरण की दृष्टि से इस क्षेत्र के मंगोल नस्ल के लोग चीनी-तिब्बती व औस्ट्रिक भाषाएं/बोलियां बोलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाषाई ढांचे में अनेक बहुभाषिक लोग रहते हैं। न केवल एक ही कुल की विभिन्न भाषाएं बल्कि विभिन्न कुलों की भाषाएं भी इस क्षेत्र के राज्यों में बोली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक राज्य बहुभाषाओं का एक संकुल है न कि भाषाई दृष्टि से एकरूप इकाई।

भाषाई ढांचे के अनुसार अंगामिस, आओ, सेमा, लोथा, कोन्याक आदि जैसी नागा समूह की भाषाएं नागालैण्ड में; मैटेइस मणिपुर घाटी में (नागा की उपभाषाएं मणिपुर और कुकीचिन (ज़ोमी) समूहों में); लुशाई मीज़ोरम में; ब्रह्मपुत्र घाटी में बांग्ला की उपभाषा; असमी, कचारी बोडो, कार्ब आदि असम में; खासी, जैंतिया व गारो मेघालय में तथा मोंगपा, अदि, अपातानी, निशी, नोक्टे आदि भाषाएं/उपभाषाएं अरुणाचल प्रदेश में

प्रत्येक जाति समूह की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में बड़े बलशाली व प्रभावशाली समूहों द्वारा अल्पसंख्यक जातीय समूहों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जाता है। यह प्रवृत्ति असम, त्रिपुरा व मणिपुर जैसे गैर आदिवासी बहुल राज्यों में भी देखने को मिलती है। इन राज्यों में आदिवासी भाषाओं को लेकर भेदभाव बरता जाता है तथा इन्हें विकास के कोई अवसर नहीं दिए जाते।

बोली जाती हैं।

प्रत्येक जाति समूह की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में बड़े बलशाली व प्रभावशाली समूहों द्वारा अल्पसंख्यक जातीय समूहों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जाता है। यह प्रवृत्ति असम, त्रिपुरा व मणिपुर जैसे गैर आदिवासी बहुल राज्यों में भी देखने को मिलती है। इन राज्यों में आदिवासी भाषाओं को लेकर भेदभाव बरता जाता है तथा इन्हें विकास के कोई अवसर नहीं दिए जाते। अल्पसंख्यक आदिवासियों पर गैर आदिवासी भाषाओं को ज़बरदस्ती थोपा जाता है। उदाहरण के लिए असम में असमी, त्रिपुरा में बांग्ला व मणिपुर में मैतेलॉन या मणिपुरी भाषाएं आदिवासियों पर थोपी जा रही हैं। असमी व मणिपुरी दोनों भाषाओं में बांग्ला लिपि का प्रयोग किया जाता है। असम में बोडो, कर्बी, कचारी आदि जैसे आदिवासियों को स्कूलों व कॉलेजों में असमी पढ़ने हेतु बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग जैसे आदिवासियों को बांग्ला तथा मणिपुर में नागा और कुकीचिन (ज़ोमी) आदिवासियों को मणिपुरी भाषा पढ़ने हेतु बाध्य किया जा रहा है।

इसमें कोई शक नहीं कि किसी क्षेत्र की प्रमुख भाषा उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। यह बात मणिपुर में भी सत्य साबित हो रही है जहां विभिन्न जातीय समूहों में बोलचाल की भाषा के रूप में मैतेलॉन अथवा मणिपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किन्तु अधिकांश आदिवासी इस भाषा में लिखने में असमर्थ हैं क्योंकि मणिपुरी में बांग्ला लिपि का प्रयोग किया जाता है।

तालिका 2 - मणिपुर में भाषाएं 1991

आदिवासी भाषाएं	बोलने वालों की संख्या	द्विभाषी - द्वितीय भाषा बोलने/लिखने वाले	
		मणिपुरी	अंग्रेज़ी
अनल	12034	1558	121
गांगटे	13580	66	752
हमार	36092	-	2716
काबुई	64298	2254	5156
कॉम	13481	-	1691
कुली	23072	692	1515
लियांगभेई	25726	251	2408
माओ	71517	791	899
मराम	9929	1299	1001
मरिंग	15264	231	693
पाइटे	41108	209	3511
तांगखुल	100088	1001	8057
लुशाई/भिझो	8598	-	988
वैफेई	25136	-	1641
झेमी	6199	94	342
झेलिआंग	1247	200	70
झोऊ	15887	-	952
योका	482656	8646	32513
मणिपुरी	1110134	-	233305

स्रोतः रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त 1991

1991 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल आबादी 18 लाख है। इसके तीन ज़िले मैदानी भाग में आते हैं। ये हैं इम्फाल, थौबाल व विष्णुपुर। इनका क्षेत्रफल लगभग 2238 वर्ग किलोमीटर है। इन ज़िलों में राज्य की 66.6 प्रतिशत आबादी बसती है। इस राज्य का विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र 20,089 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें पांच ज़िले उखरूल, सेनापति, तेमेंगलांग, चंदेल व चूरचंडपुर शामिल हैं। यहां राज्य की 34.4 प्रतिशत आबादी रहती है। पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं। इनमें नागा समूह व कुकीचिन (ज़ोमी) समूह प्रमुख हैं। मैदानी क्षेत्र में मैतेयी या मणिपुरी (गैर-आदिवासी) लोग बहुसंख्यक हैं। ये राज्य की आबादी के 52 प्रतिशत हैं। कुछ

अन्य समुदाय के लोग भी इस क्षेत्र में रहते हैं जिनमें पंगल व मुसलमान (गैर आदिवासी) शामिल हैं। इनकी संख्या 12 प्रतिशत है। तालिका -1 में मणिपुर में आदिवासी व गैर आदिवासी आबादी की संख्या को दर्शाया गया है। मणिपुर के इन दो समूहों - पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र में रहनेवालों - की सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराएं अलग-अलग हैं और वे भाषाएं/उपभाषाएं भी अलग-अलग बोलते हैं। यद्यपि पहाड़ी आदिवासियों की तरह ही मैतीय भी तिब्बत-बर्मा नस्ल के हैं किन्तु बाहरी प्रभावों के कारण उनकी संस्कृति कुछ भिन्न हो गई है। वे हिन्दू धर्म की वैष्णव विचारधारा को मानते हैं तथा अपनी मणिपुरी भाषा को लिखने के लिए बांग्ला लिपि का प्रयोग करते हैं। आदिवासी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं और रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं।

आदिवासियों को 29 जनजातियों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी अलग बोली व संस्कृति होती है। जिन जनजातियों को मान्यता दी गई है वे हैं - आईमोल, अनल, अंगामी, चिरू, चोथे, गांगटे, हमार, काबुई, काचा नागा, वैफेई, क्वाइराओ, कोइरैंग, कॉम, लामकांग, माओ, मराम, मारिंग, अनिमीझो (लुशाई), मोनसांग, मोयोन, पाइटे, पुरुम, राल्टे, साहटे, सेमा, सिम्टे, सुहटे, तांगखुल, तथा थाडो। इन जनजातियों में आपस में तथा एक दूसरे के साथ सीमित संवाद होता है। एक समान भाषा के विकास का कोई अवसर कभी नहीं रहा है। यह इससे ही साबित हो जाता है कि विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में रहनेवाले नागाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में भी पर्याप्त भिन्नता दिखती है। अतः ऐसी साधारण बोलचाल की भाषा का केवल शैक्षिक दृष्टि से शालाओं में अध्ययन करना निरर्थक होगा जब तक कि ऐसे अध्ययन से आदिवासियों के विकास में कुछ सहायता न मिले।

मणिपुर में अक्सर वहां की प्रमुख भाषा मैतेलॉन व लगभग दर्जन भर आदिवासी भाषाओं के बीच रस्साकशी चलती रहती है।

मणिपुर में भाषाई समस्या 1980 के दशक में तब शुरू हुई जब राज्य सरकार ने मैतेलॉन को कक्षा दस में आवश्यक विषय के रूप में लाने का प्रयास किया। किन्तु मामला इस समझौते के साथ रफादफा हुआ कि मैतेलॉन को आदिवासियों के लिए ऐच्छिक विषय के रूप में रखा जाए। इसके बदले उन्हें अतिरिक्त अंग्रेज़ी अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आदिवासी भाषाओं में से एक भाषा लेने का विकल्प दिया गया। किन्तु 1992 में मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने से संघर्ष शुरू हो गया जो अभी भी जारी है। अभी हाल ही में संघीय लोक सेवा आयोग ने मणिपुर राज्य के अभ्यार्थियों के लिए प्रशासनिक सेवा (मुख्य) परीक्षा में मणिपुरी भाषा को एक आवश्यक विषय के रूप में निर्धारित किया है। किन्तु गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी व आदिवासी अभ्यार्थियों को मणिपुरी में न लिखने की छूट दी। विडंबना तो यह है कि मणिपुरी को शालाओं में तो पढ़ाया नहीं जाता। किन्तु उच्च स्तर पर विशेषतः प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे आवश्यक विषय के रूप में रखा गया है।

तालिका -1 में अनुसूचित आदिवासी भाषाओं तथा गैर अनुसूचित आदिवासी भाषाओं को बोलने वालों की संख्या दर्शाई गई है। 65.85 प्रतिशत लोग मणिपुरी को प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं तथा 43.15 प्रतिशत लोग गैर अनुसूचित भाषाएं बोलते हैं। गैर आदिवासियों में केवल मैतेयी समुदाय तथा पांगल (मुसलमान) लोग ही मणिपुरी को प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं।

तालिका -2 में राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाषाओं की स्थिति दर्शाई गई है। अपनी पारम्परिक भाषा को बोलने वाले आदिवासी मणिपुरी को बमुश्किल दूसरी भाषा के रूप में बोल पाते हैं। वास्तव में ये आदिवासी मणिपुरी की बजाय अंग्रेज़ी बोलना अधिक पसंद करते हैं। (1991 की जनगणना के अनुसार)।

भाषाई समस्या के गहन राजनैतिक परिणाम होते हैं। मणिपुर में भाषाई समस्या जातीय प्रभावों को या तो पैदा करती है अथवा उन्हें बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त शासकीय नीतियां व सामाजिक दबाव के कारण अल्पसंख्यक समुदायों को मणिपुरी बोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस कारण राज्य में आदिवासी भाषाओं को बोलने वालों की संख्या घटती जा रही है। भाषा जो कि संवाद का साधन है, यदि उसे लोगों को वश में करने हेतु उपयोग किया जाए, तो वह एक रुकावट बन सकती है। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***